रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2006/वैशाख 28, 1928
No. 501] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2006/VAISAKHA 28, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2006

का.आ.727(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री मलूक नागर, पूर्व विधान सभा सदस्य और युवा राष्ट्रीय लोक दल, नई दिल्ली के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री हाजी शाहिद अखलख, आसीन लोक सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 10 अप्रैल, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह दलील दी है कि वर्ष 2004 के साधारण निर्वाचनों में 76-मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन फाइल करते समय श्री अखलख, मेरठ के आसीन मेयर थे, जो याची के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए लाभ का पद था;

और राष्ट्रपति द्वारा तारीख 17 अप्रैल, 2006 को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री हाजी शाहिद अखलख संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए थे;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि सुस्थापित संवैधानिक स्थिती को ध्यान में रखते हुए श्री हाजी शाहिद अखलख की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जो यदि कोई मामला है तो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है और यह कि वर्तमान याचिका इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री मलूक नागर, पूर्व विधानसभा सदस्य और युवा राष्ट्रीय लोक दल, नई दिल्ली के अध्यक्ष की उक्त याचिका चलने योग्य नहीं है।

14 मई, 2006

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026(9)/2006-वि.-II]

एन. के. नम्पूतिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

2006 का निर्देश मामला सं. 42

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देशः संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन श्री हाजी शाहिद अखलख की लोकसभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता ।

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 17 अप्रैल, 2006 का निर्देश है, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन हाजी शाहिद अखलख, आंसीन लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

2. उपरोक्त प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोकसभा का सदस्य होने के लिए वर्ष 2004 में लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 76 - मेरठ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित श्री हाजी शाहिद अखलख की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को श्री मलूक नागर, पूर्व विधानसभा सदस्य और युवा राष्ट्रीय लोकदल, नई दिल्ली के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 10.4.2006 की याचिका में उठाया गया था । याचिका में यह दलील दी गई है कि उक्त निर्वाचन के लिए नामांकन भरते समय श्री अखलख मेरठ के आसीन मेयर थे, जो याची के अनुसार अनुच्छेद 102(1) (क) के प्रयोजनों के लिए लाभ का पद है । याची ने यह अभिकथन किया है कि श्री अखलख 2000 से 2005 तक मेयर के रूप में रहे, जो उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री की हैसियत का पद है और वे भिन्न-भिन्न फायदों और दस्तूरी का उपयोग करते थे । याची के अनुसार मेयर का पद लाभ का पद था और श्री अखलख अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हित हो गए थे ।

3. यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन संसद के आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् हुई निरर्हताओं में ही उत्पन्न होती है । अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर केवल पश्च-निर्वाचन निरर्हता के मामले में भी उत्पन्न होती है । निर्वाचन - पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता का कोई प्रश्न जिससे कोई व्यक्ति उसके निर्वाचन के समय या निर्वाचन से पूर्व ग्रस्त था, केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग-6 के साथ पठित संविधान के अनुचछेद 329(ख) के उपबंध के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के द्वारा ही उठाया जा सकता है और न कि अनुच्छेद 103 (1) के अधीन । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201) ; बृंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ; आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है । पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है ।

4. वर्तमान मामले में, उपर्युक्त उल्लिखित अभिकथन यह है कि श्री अखलख अप्रैल, 2004 में लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन फाइल करते समय मेरठ में मेयर का पद धारण किए हुए थे । अतः, यह मामला निर्वाचन लड़ते समय की अभिकथित निरर्हता है । उपर्युक्त निर्दिष्ट सुस्थापित संविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री हाजी शाहिद अखलख की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जो यदि कोई मामला था तो निर्वाचन - पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है । निर्वाचन आयोग के पास भी ऐसी अभिकथित निर्वाचन - पूर्व निरर्हता के प्रश्न के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की कोई अधिकारिता नहीं है । अतः, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्देद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।

5. तदनुसार वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग को उपर्युक्त आशय की इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन चलने योग्य नहीं है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(नवीन बी. चावला)	(बी.बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली:

तारीख: 26 अप्रैल, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2006

S.O. 727(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 10th April, 2006 of alleged disqualification of Shri Haji Shahid Akhlakh, a sitting Member of Lok Sabha under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Malook Nagar, Ex-MLA and President of Yuva Rashtriya Lok Dal, New Delhi;

And whereas the said petitioner has averred in his petition that at the time of filling of nomination for the election to the Lok Sabha from 76-Meerut Parliamentary Constituency at the general election, 2004, Shri Akhlakh was a sitting Mayor of Meerut, which according to the petitioner was an office of profit for the purposes of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President under a reference dated the 17th April, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Haji Shahid Akhlakh had become subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that in view of the well settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Shri Haji Shahid Akhlakh, being a case of pre-election disqualification, if at all any disqualification was attracted, cannot be raised before the President under clause (1) of article 103 of the Constitution and that the petition is, therefore, not maintainable before the President;

Now, therefore, I, A.P.J. Adbul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the said petition of Shri Malook Nagar, Ex-MLA and President of Yuva Rashtriya Lok Dal, New Delhi, is not maintainable.

14th May, 2006. PRESIDENT OF INDIA

[F. No. H-11026(9)/2006-Leg.-II]
N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 42 of 2006

[Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India]

In re: Alleged disqualification of Shri Haji Shahid Akhlakh, for being a member of Lok Sabha, under Article 102(1)(a)) of the Constitution of India.

OPINION

This is a reference dated 17th April, 2006, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Shri Haji Shahid Akhlakh, a sitting member of Lok Sabha, under Article 102(1)(a) of the Constitution of India.

2. The above question arose on the petition dated 10-04-2006, submitted by Shri Malook Nagar, Ex-MLA and President of Yuva Rashtriya Lok Dal, New Delhi, to the President of India, under Article 103(1) of the Constitution, raising the question of alleged disqualification of Shri Haji Shahid Akhlakh, elected to

the Lok Sabha from 76-Meerut Parliamentary Constituency at the general election in 2004, for being a member of Lok Sabha under sub-clause (a) of clause (1) of Article 102 of the Constitution of India. The contention in the petition is that at the time of filing nomination for the said election, Shri Akhlakh was the sitting Mayor of Meerut, which according to the petitioner was an office of profit for the purposes of Article 102(1)(a). The petitioner has alleged that as the Mayor from 2000 to 2005, Shri Akhlakh had the status of Minister of State in Uttar Pradesh, and was enjoying various benefits and perks. According to the petitioner, the office of Mayor was an office of profit and hence Shri Akhlakh has incurred disqualification under Article 102(1)(a).

3. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in disqualifications incurred after election as a member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution, also arises only in case of post-election disqualification. Any question of pre-election disqualification, i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised by means of an election petition presented in accordance with the provision of Art. 329(b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and not under Article 103(1). Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (ARI 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609); etc. In a very large number of other similar

cases in the past, the Commission has given similar opinion, on the references made to it by the President and Governors of States.

4. In the present case, the allegation as mentioned above is that Shri Akhlakh was holding the office of Mayor, Meerut, at the time he filed nomination for election to the Lok Sabha in April, 2004. Thus, this is a case of alleged disqualification at the time of contesting election. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Shri Haji Shahid Akhlakh, being a case of pre-election disqualification, if at all any disqualification was attracted, cannot be raised before the President under Article 103(1) of the Constitution. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petition is, therefore, not maintainable before the President in terms of Article 103 (1) of the Constitution.

5. The reference received from the President, in the present case, is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 103(1) of the Constitution.

Sd./-	Sd./-	Sd./-
(Navin B.Chawla)	**(B.B.Tandon)**	**(N.Gopalaswami)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

New Delhi.

Dated : 26th April, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2006

का.आ. 728(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री हरिन्दर अग्रवाल, पूर्व विधान परिषद सदस्य, सी-358, लोहिया नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री अनिल अंबानी, तत्कालीन राज्य सभा के आसीन सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह दलील दी है कि श्री अनिल अंबानी को राज्य मंत्री की हैसियत प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया था;

और राष्ट्रपति द्वारा तारीख 7 अप्रैल, 2006 को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री अनिल अंबानी संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और 7 अप्रैल, 2006 को निर्वाचन आयोग में निर्देश के प्राप्त होने से पूर्व ही श्री अनिल अंबानी ने 29 मार्च, 2006 को राज्य सभा की अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था, जैसा कि, राज्य सभा सचिवालय द्वारा उनकी अधिसूचना सं० आरएस .10/2006/टी, तारीख 30 मार्च, 2006 द्वारा यह सूचना देते हुए अधिसूचित किया गया है कि उनका त्यागपत्र राज्य सभा अध्यक्ष द्वारा 29 मार्च, 2006 से स्वीकृत कर लिया गया था;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री अनिल अंबानी ने पहले ही 29 मार्च, 2006 को राज्य सभा की अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और इस प्रकार वह अब संसद सदस्य नहीं हैं, अतः उक्त निर्देश, जहां तक वह श्री अनिल अंबानी के राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित रुप से निरर्हित होने के प्रश्न से संबंधित है, निरर्थक हो गया है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री हरिन्दर अग्रवाल की, श्री अनिल अंबानी के राज्य सभा के सदस्य होने के लिए अभिकथित रुप से

निरर्हित होने संबंधी उक्त याचिका श्री अनिल अंबानी द्वारा 29 मार्च, 2006 को राज्य सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण निरर्थक हो गई है ।

14 मई, 2006 भारत का राष्ट्रपति

[फा.सं. एच-11026(10)/2006-वि.-II]

एन. के. नम्बूतिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देशः संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के पूर्व राज्य सभा सदस्य श्री अनिल अंबानी की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 38

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 7 अप्रैल, 2006 का निर्देश है, जिसके द्वारा इस प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री अनिल अंबानी, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन राज्य सभा सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए है अथवा नहीं ।

2. श्री अनिल अंबानी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री हरिन्दर अग्रवाल, पूर्व विधान परिषद्, सदस्य, सी-358, लोहिया नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 24 मार्च,2006 की याचिका में उठाया गया था । याचिका में यह दलील दी गई है कि श्री अनिल अंबानी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकास परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था । याची ने यह अभिकथन किया है कि श्री अनिल अंबानी की उक्त पद पर नियुक्ति करते समय उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हे राज्य मंत्री की हैसियत भी प्रदान की थी । याची के अनुसार श्री अंबानी उक्त पद पर नियुक्त होने के कारण विशेषाधिकारों के जैसे टेलीफोन, यान, कर्मचारिवृंद और अन्य आनुषंगिक दस्तूरी के हकदार थे, जो किसी पद को लाभ का पद बनाते हैं । याची ने श्री अनिल अंबानी की राज्य सभा के सदस्य होने से निरर्हता की मांग की है ।

1491 GI/06 -3

3. आयोग में 7 अप्रैल, 2006 को निर्देश प्राप्त होने से पूर्व ही श्री अनिल अंबानी ने 29 मार्च, 2006 को राज्य सभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था जैसा कि राज्य सभा सचिवालय ने अपनी तारीख 30 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या राज्य सभा 10/2006/टी द्वारा अधिसूचित किया है । उक्त अधिसूचना में, जिसकी एक प्रति राज्य सभा सचिवालय द्वारा 3.4.2006 को आयोग को प्राप्त हो गई थी, यह उल्लेख किया गया था कि श्री अनिल अंबानी ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र राज्य सभा के सभापति द्वारा 29 मार्च, 2006 से स्वीकार कर लिया गया था ।

4. श्री अनिल अंबानी द्वारा राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिए जाने को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु उदभूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि याचिका में उठाया गया उनकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए अब भी जीवित है अथवा नहीं ।

5. संविधान के अनुच्छेद 103(2) और अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां न्यायिककल्प कार्यवाहियां होती हैं । अतः, ऐसे मामलों में आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है । एक साधारण सिद्धांत के रूप में न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे विवाद्यक पर विनिश्चय करने के लिए विचार नहीं करते जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र होता है या किसी बाद में घटित होने वाली घटना के कारण निरर्थक हो गया है । ऐसे मामलों में जिनमें निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, अभ्यर्थी जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में स्थान से उसके त्यागपत्र पर या जहां स्वयं सदन ही विघटित कर दिया गया हो, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक अपील के रूप में माना है और उस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है । पोडीपीरेड्डी अच्यूत देसाई बनाम चिन्नम जोगाराव [(1987) सप्लिमेंटरी एससीसी 42] के मामले में जहां सदन निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

" इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण हैं । हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में बल भी देख रहे हैं । इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए रूप से निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और इस रूप में अपील निरर्थक हो गई है, यदि हम निर्वाचन अर्जी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत की विधिमान्यता या अन्य प्रारूप में जांच करें तो हम बेकार में ही अपनी शक्ति गवाएंगे । हम, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की विनिश्चय की विधिमान्यता पर या अन्य पहलू पर कोई राय चाहे वह किसी तरह की हो, व्यक्त किए बिना यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्चे के बारे में कोई आदेश किए बिना निपटाई गई समझी जाएगी ।"

6. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ पधान बनाम वीरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

" विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना निरर्थक होगा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, अतः न्यायालय को अपील में उदभूत प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार कर देना चाहिए । हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्राथमिक दलील में काफी बल है । भारत तथा इंग्लैड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवाद्यक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है.....

.....प्रस्तुत मामले में, उड़ीसा विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण इस बारे में विचार करना सैद्धान्तिक मात्र हो गया है कि क्या उस तारीख को जब नामांकन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी नियम 9-क के अधीन निरर्हित था अथवा नहीं । भले ही यह पाया जाए कि वह इस प्रकार निरर्हित था तब भी इससे कोई भी व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उड़ीसा विधान

सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन की अविधिमान्यता निरर्थक और निष्प्रभावी हो गई है.....

.....यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामांकन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित था और जहां तक भविष्य की स्थिति का संबंध है, इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी और इसलिए उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यवहारिक हित नहीं है । न तो इससे अपीलार्थी को लाभ होगा और न किसी व्यवहारिक अर्थ में प्रत्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस बारे में विचार करना पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक मात्र होगा कि प्रत्यर्थी नामांकन की तारीख को निरर्हित था अथवा नहीं ।"

7. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

" चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 के निर्वाचन से संबंधित है जिसकी कालावधि लोक सभा के विघटन पर 1984 में समाप्त हो गई, उसके पश्चात् दिसम्बर, 1984 में एक और अन्य साधारण निर्वाचन हुआ था और प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए 25वें अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से पुनःनिर्वाचित हो गया था । 1984 के निर्वाचन की विधिमान्यता को दो पृथक निर्वाचन अर्जियों के माध्यम से प्रश्नगत किया गया था और दोनों ही अर्जियां खारिज कर दी गई थीं । प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, एआईआर 1986 एससी 1253 और भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, (1986) 4 एससीसी 78 : (एआईआर 1986 एससी 1534) में बहाल रखा गया था । चूंकि आक्षेपित निर्वाचन लोक सभा से संबंधित है जो 1984 में विघटित कर दी गई थी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को वर्तमान कार्यवाहियों में अपास्त नहीं किया जा सकता भले ही निर्वाचन अर्जी विचारण पर अंत में मंजूर कर ली जाए क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन के आधार पर लोक सभा का सदस्य नहीं बना हुआ है बल्कि 1984 में उसके पश्चातवर्ती निर्वाचन के आधार पर बना हुआ है । यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिपरेषित करते हैं तब भी प्रत्यर्थी के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी के विचारण के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अनुतोष समय बीत जाने के कारण निरर्थक हो गया है । इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के

लिए अर्जी में उठाए गए आधार सैद्धान्तिक मात्र हो गए हैं । न्यायालय को किसी विवाद्यक का विचार करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवाद्यक जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी । लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्डस में सन लाइफ एस्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस, 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया : ' मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इस मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता । इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए जिसपर हाउस जीवित विवाद्यक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है ।' ये मत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है ।"

8. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है । ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिधारित सतत राय यह थी कि निर्देश निरर्थक हो गया था । ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 इएलआर 354) तारीख 17.06.1971 की आयोग की राय, श्री लजिन्दर सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1980 की राय, डा. जगन्नाथ मित्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशी राय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमती

जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललीता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है ।

9. डा. जगन्नाथ मिश्र का मामला (1989 का निर्देश मामला 2) तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले के समान था । उस मामले में उठाया गया प्रश्न राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की इस आधार पर अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वह एल. एन. मिश्र इन्स्टिट्यूट आफ इकोनोमिक डेवल्पमेंट एंड सोसियल चेन्ज, पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे । उस मामले में तारीख 10-6-1989 की एक याचिका, तारीख 10-7-1989 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजी गई थी । उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. मिश्र के त्यागपत्र के अनुसरण में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है । आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में यह संप्रेक्षण किया कि :

> "तारीख 16-03-1990 को डा. मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं । अतः यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार के लिए नहीं बचा है क्योंकि अब वह पहले से ही उस सभा के सदस्य नहीं हैं । इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय प्राप्त करने के लिए कि क्या डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है ।"

10. 1992 के निर्देश मामला सं. 1 में, जिसमें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने, इस आधार पर निरर्हता उपगत की है कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी काउन्सिल थी । याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी । श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई

थी । आयोग ने निर्देश को निरर्थक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी ।

11. सुश्री जे. जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला सं. 1(जी)-6 (जी) और 1994 का 1(जी) [अनुच्छेद 192 (2) के अधीन तमिलनाडु के राज्यपाल से तमिलनाडु विधान सभा से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाले निर्देश] वह विधान सभा, जिसकी वह सदस्य थी और सदस्यता, जो मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी, निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दी गई थी । विधान सभा के विघटन के पश्चात्, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मामले निरर्थक हो गए हैं । उस मामले में, लोकनाथ पधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था :

> " उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी । इस प्रश्न पर कि क्या सुश्री जयललिता मई 1996 में पहले ही विघटित हो गई तमिलनाडु विधान सभा के पूर्वतर सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं । इस प्रक्रम पर कोई जांच, अब मात्र सैद्धान्तिक हित में ही होगी और निरर्थक प्रयास होगा । उपरोक्त प्रश्न पर की गई किसी उद्घोषणा से न तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति होगी । यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है जो भारत में मानी और अनुपालन की जाती है कि यदि कोई विवाद्यक इस रूप में पूर्णतया सैद्धान्तिक है कि किसी भी रूप में उस पर विनिश्चय का पक्षकारों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी । वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे सैद्धान्तिक विवाद्यकों का विनिश्चय करने में अपने आपको लगाए रखना, प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । श्री बोबदे, लोकनाथ प्रधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने में सही थे । उस मामले में, उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ संविदा विद्यमान है

और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित हैं । उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था, किंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी, उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित कर दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज कर दिया था ।"

12. अतः, यह अवलोकन किया जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिससे परिवाद संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी ।

13. उपर्युक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की यह सुविचारित राय है कि श्री अनिल अंबानी की राज्य सभा के सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि श्री अनिल अंबानी पहले ही 29 मार्च, 2006 को राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे चुके हैं और इस प्रकार अब सदन के सदस्य नहीं रह गए हैं ।

14. तदनुसार तारीख 7 अप्रैल, 2006 का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह निरर्थक हो गया है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(नवीन बी. चावला)	(बी. बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 27 अप्रैल, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2006

S.O. 728(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 24th March, 2006 of alleged disqualification of Shri Anil Ambani, the then sitting Member of Rajya Sabha under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Harinder Aggarwal, ex-MLC, C-358, Lohia Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh;

And whereas the said petitioner has averred in his petition that Shri Anil Ambani was appointed as Member of U.P. Development Council by the Government of Uttar Pradesh with the status of a Minister of State;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President under a reference dated the 7th April, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question of as to whether Shri Anil Ambani has become subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas even before the reference was received in the Election Commission on the 7th April, 2006, Shri Anil Ambani had resigned his membership in the Rajya Sabha on the 29th March, 2006, as notified by the Rajya Sabha Secretariat *vide* its notification No.RS.10/2006/T dated the 30th March, 2006 informing the acceptance of his resignation by the Chairman, Rajya Sabha with effect from the 29th March, 2006;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that in view of the fact that Shri Anil Ambani has already resigned his seat in the Rajya Sabha on the 29th March, 2006, and is thus no longer a Member of Parliament, the said reference, in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Shri Anil Ambani for being a member of Rajya Sabha, has become infructuous;

Now, therefore, I, A.P.J. Adbul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the said petition of Shri Harinder Aggarwal on alleged disqualification of Shri Anil Ambani for being member of the Rajya Sabha has become infructuous on account of the resignation of Shri Anil Ambani of his membership in the Rajya Sabha on the 29th March, 2006.

PRESIDENT OF INDIA

14th May, 2006.

1491 GI/06 — 5

[F. No. H-11026(10)/2006-Leg.-II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:
Alleged disqualification of Shri Anil Ambani, former member of Rajya Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case No. 38 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 7th April, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Shri Anil Ambani has become subject to disqualification for being Member of Rajya Sabha, under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of Shri Anil Ambani was raised in a petition dated 24th March, 2006 submitted to the President by Shri Harinder Aggarwal, ex-MLC, C-358, Lohia Nagar, Ghaziabad, UP. The contention in the petition is that Shri Anil Ambani was appointed as Member of UP Development Council by the Government of U.P. The petitioner has alleged that while appointing Shri Anil Ambani to the said office, the U.P. Govt. also granted him the status of a Minister of State. According to the petitioner, Shri Ambani, by virtue of his appointment to the said post, was entitled to privileges like telephone, vehicle, staff and other incidental perks, which makes the office an office of profit. The petitioner sought disqualification of Shri Anil Ambani from being a member of Rajya Sabha.

3. Even before the reference was received in the Commission on 7th April, 2006, Shri Anil Ambani had resigned his membership in the Rajya Sabha on the 29th March, 2006, as notified by the Rajya Sabha Secretariat vide its notification No.

RS.10/2006-T dated 30 March,2006. In the said notification, a copy whereof was received in the Commission from the Rajya Sabha Secretariat on 3.4.2006. it was mentioned that Shri Anil Ambani had resigned his seat in the Rajya Sabha and his resignation was accepted by the Chairman, Rajya Sabha w.e.f. 29th March, 2006.

4. In view of the resignation by Shri Anil Ambani of his seat in the Rajya Sabha, the preliminary issue arising for consideration of the Commission is whether the question of his alleged disqualification raised in the present petition, survives for any opinion of the Commission under Article 103(2) of the Constitution.

5. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and Governors under Articles 103 (2) and 192(2) are quasi-judicial proceedings. Hence, in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC 42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

> "The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be undertaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

6. Earlier ,the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu*(AIR 1974 SC 505),had held:

> "Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recongnised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....
>
> .....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even if it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....
>
> .....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would it affect the respondent in any practical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination."

7. Again, the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577) as follows :

> "The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter-another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi, AIR 1986 SC 1253 and Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on

the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, if would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, 1944 AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

8. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360), Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J.Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

9. The case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989), was similar to the present one. The question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructuous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

> " Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructous."

10. In Reference Case No. 1 of 1992 in which the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the President, was whether Smt. Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt. Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructuous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992.

11. In the Reference Cases relating to Ms. J.Jayalalitha. (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms.

Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructuous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

> "Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly, already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly."

12. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value.

13. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past,

mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present reference on the question of alleged disqualification of Shri Anil Ambani for being a member of the Rajya Sabha, has become infructuous, in view of the fact that Shri Anil Ambani has already resigned his seat in the Rajya Sabha on 29th March, 2006, and is thus no longer member of that House.

14. Accordingly, the reference dated 7th April, 2006, is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under Article 103(2) of the Constitution, to the effect that the same has become infructuous.

Sd./-	Sd./-	Sd./-
(Navin B.Chawla)	**(B.B.Tandon)**	**(N.Gopalaswami)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place : New Delhi
Dated: 27th April, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.